ई-संदेश

उत्तर प्रदेश

25 जुलाई, 2018 • वर्ष 1, अंक 27

सात दिन – सात पृष्ठ

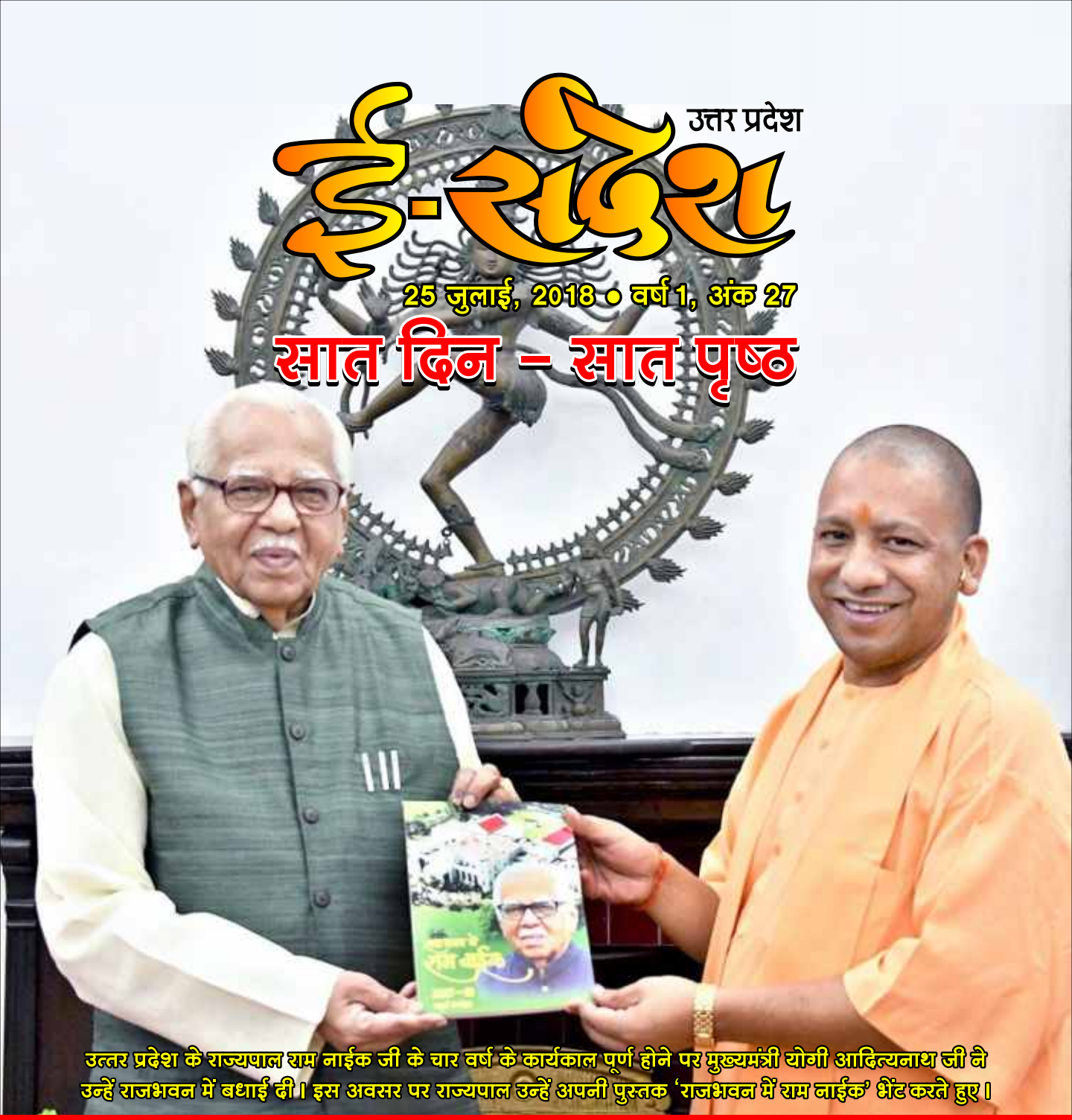

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक जी के चार वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें राजभवन में बधाई दी। इस अवसर पर राज्यपाल उन्हें अपनी पुस्तक 'राजभवन में राम नाईक' भेंट करते हुए।

- जन आन्दोलन बन गया है स्वच्छता अभियान
- सभी राजस्व ग्रामों का होगा समुचित विकास
- नगरीय क्षेत्रों में हो चुके अवैध निर्माणों के लिए शमन योजना
- दूर होगी हाथरस में डार्क जोन और खारे पानी की समस्या
- मूल तैनाती के स्थल पर काम कर सकेंगे शिक्षामित्र
- बुन्देलखण्ड और विंध्य के गांवों को मिलेगा पाइप पेयजल योजनाओं का लाभ

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

अभूतपूर्व रहा राज्यपाल महोदय का चार वर्ष का कार्यकाल

'उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस' समारोह से प्रदेश को मिली नई पहचान : राज्यपाल

'एक जिला एक उत्पाद' स्कीम से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद की विशेषता उभरकर आई सामने

प्रदेश की विशेषताएं जानने के बाद इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकर्ताओं ने किया यूपी में निवेश का निर्णय

भारत के संविधान में राज्यपाल पद को बड़ी महत्ता दी गई है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के साथ–साथ केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच सेतु की भूमिका में होते हैं। राज्यपाल जहाँ एक ओर राज्य सरकार की गतिविधियों में नजर रखते हैं तो वहीं दूसरी ओर आवश्यकतानुसार राज्य सरकार की बात को केन्द्र तक सशक्त ढंग से प्रस्तुत करने का भी कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने अपने चतुर्थ वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह विचार व्यक्त किए।

राम नाईक जी के चौथे वर्ष की कार्य अवधि में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई। इनमें उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, डॉ. आंबेडकर का सही नाम लिखा जाना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का अजर–अमर उद्घोष के 101 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित समारोह, मुंबई हवाई अड्डे पर छत्रपति शिवाजी महाराज का सही जन्म वर्ष का अंकन, सरोजिनी नायडू की योग्य प्रतिमा लगाये जाने का निर्णय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह समिति की स्थापना, 2019 के 'कुम्भ' के समारोह की समिति की राज्यपाल की अध्यक्षता में स्थापना, राज्य सरकार के प्रतीक चिन्ह के अनधिकृत प्रयोग का संज्ञान लेना, चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन, महाराष्ट्र दिवस समारोह का आयोजन, म्यांमार में आयोजित 'द इंटरफेथ डॉयलाग फॉर पीस' विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन आदि प्रमुख हैं।

> **08 फरवरी 2018 को राज्य विधान मण्डल के वर्ष 2018 के प्रथम सत्र के लिए आहूत संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए मैंने 38 पृष्ठों का अपना पूरा अभिभाषण पढ़ा। वर्ष 2007 के बाद यह प्रथम अवसर है जब किसी राज्यपाल ने सदन में अपना पूरा भाषण पढ़ा।**
>
> **–राम नाईक, राज्यपाल**

प्रदेश के विकास में राज्यपाल महोदय से मिला मार्गदर्शन : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री जी ने चार वर्ष के कार्यकाल पूर्ण करने के अवसर पर राज्यपाल महोदय को बधाई दी। राज्यपाल से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास सहित अन्य अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर किए गए मार्गदर्शन एवं सुझाव के लिए उनको धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने भविष्य में भी राज्यपाल से प्रदेश हित में मार्गदर्शन दिए जाने का अनुरोध किया और कहा कि आपका वार्षिक कार्यवृत्त हम सभी के लिए अनुकरणीय है। ■

जन आन्दोलन बन गया है स्वच्छता अभियान

दो अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जब 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरुआत की थी, तो यह सबके लिए कौतूहल का विषय था। लेकिन इसकी अहमियत समझनें के बाद आज पूरा देश इस अभियान को समर्थन दे रहा है। इसके तहत सामान्य साफ–सफाई पर फोकस किया जा रहा है, ताकि पूरे देश के गांव, ब्लॉक, तहसील और नगर साफ बनें और गंदगी के कारण फैलने वाली बीमारियों से लोगों को मुक्ति मिले।

मुख्यमंत्री जी ने यह विचार स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण–2018 एवं वृहद स्वच्छता अभियान सम्बन्धी कार्यक्रम में व्यक्त किए।

एक वर्ष में हुआ 1.03 करोड़ शौचालयों का निर्माण

उत्तर प्रदेश में जब इस अभियान को लागू किया गया, तब इस अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण कार्य काफी धीमा था परन्तु पिछले एक वर्ष के दौरान पूरे प्रदेश में रिकार्ड 1.03 करोड़ शौचालय निर्मित कराए गए हैं। लाभार्थी द्वारा शौचालय निर्माण कराए जाने पर सरकार द्वारा 12 हजार रुपए की मदद दी जाती है। मनरेगा तथा सी.एस.आर. के तहत भी सहयोग लेकर शौचालय निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आज यह महज एक सरकारी अभियान न होकर, एक जनान्दोलन बन गया है।

> राज्य सरकार द्वारा खुले में शौच को रोकने के उद्देश्य से घरों में शौचालय (इज्जत घर) निर्माण को प्राथमिकता दी गई। 'स्वच्छ भारत मिशन' का उत्तर प्रदेश में सफल क्रियान्वयन इसलिए आवश्यक है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी इस प्रदेश में रहती है।
> उत्तर प्रदेश से इस अभियान की सफलता इसे पूरे देश में सफल बनाने में मदद करेगी। –मुख्यमंत्री

स्वच्छता के क्षेत्र में ग्रामीण परिवेश का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण–2018 (स्वच्छ ग्राम–स्वच्छ जिला) तथा वृहद स्वच्छता अभियान संचालित किया जा रहा है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में ग्रामीण परिवेश में आयोजित किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण का कार्य एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 750 गांवों, 3759 सार्वजनिक स्थलों का संख्यात्मक एवं गुणात्मक आकलन कर जनपदों की रैंकिंग की जाएगी। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष निरीक्षण, नागरिकों का फीडबैक तथा सर्विस लेवेल प्रगति का मानक रखा गया है।

2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश को ओ.डी.एफ. बनाने का संकल्प

'स्वच्छ भारत मिशन' देश और प्रदेश दोनों सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है। राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 2018 तक पूरे प्रदेश को ओ.डी.एफ. (खुले में शौच से मुक्त) घोषित करने का लक्ष्य पूर्व में निर्धारित किया जा चुका है।

इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा निरन्तर कार्य करके बड़ी संख्या में व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है और अभी भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में तेजी से कार्य कराया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए इसे जनान्दोलन के रूप में संचालित किया जा रहा है, जिससे साफ–सफाई के प्रति ग्रामीण समाज में व्यवहार परिवर्तन लाया जा सके तथा उन्हें शौचालयों के निर्माण के उपरान्त उनके प्रयोग के लिए भी प्रेरित किया जा सके।

स्वच्छता प्रतिस्पर्धा को मिलेगा प्रोत्साहन

स्वच्छ सर्वेक्षण का उद्देश्य जनपदों की स्वच्छता के मूलभूत मानकों पर रैंकिंग, स्वच्छता कार्यक्रम में ग्रामीण सहभागिता, प्रचार–प्रसार, स्वच्छ रहने की आदतों में सुधार हेतु प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना तथा, विद्यालयों, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, हाट–बाजार, धार्मिक स्थलों में स्वच्छता में प्रगति एवं लोगों की प्रतिक्रिया प्राप्त कर स्वच्छता कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना है।

बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग के उत्थान हेतु कार्य कर रही है सरकार : मुख्यमंत्री

हर वर्ग का रखा ध्यान

उत्तर प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंद गरीब लोगों को आवास, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। नौजवानों, किसानों, महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए अनेक रोजगारपरक योजनाएं संचालित की गई हैं। सरकार द्वारा प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों का एक लाख तक का ऋण माफ किया गया है। सरकार द्वारा 14 फसलों को लागत मूल्य से डेढ़ गुना अधिक मूल्य देने की घोषणा भी प्रधानमंत्री जी द्वारा हाल में की गई है। वर्तमान सरकार द्वारा पिछली सरकार के मुकाबले गरीब तबके के लोगों को अधिक आवास मुहैया कराए गये हैं। 76 लाख शौचालयों का निर्माण, 46 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया गया है।

यह उद्गार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एटा में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास अवसर पर व्यक्त किए।

उत्तर प्रदेश राज्य निवेश के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य बनने जा रहा है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रदेश की 22 करोड़ जनता की सुरक्षा सरकार का प्रमुख दायित्व है। अपराधियों में डर और कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद एटा भ्रमण के दौरान कुल 284 करोड़ रुपये की 59 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 144 करोड़ 86 लाख रुपये लागत की 34 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 139 करोड़ 14 लाख रुपये लागत की 25 परियोजनाओं का शिलान्यास सम्मिलित है।

एटा के पड़ोसी जनपद कासगंज के पौराणिक महत्व के सोरों क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप के विकसित किया जायेगा। एटा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया होगी। जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय प्रशासन से मिलकर एटा जिले के समग्र विकास के लिए जन कल्याणकारी, रोजगारपरक एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है।

प्रदेश में दिखने लगा बदलाव

प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के फलस्वरूप समाज में माहौल बदलने लगा है। मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों का निरीक्षण करने का पहला चरण 23 जुलाई, 2018 को पूर्ण हो गया है। अब वे सभी जिलों में थाने, विकास खण्ड और तहसीलों का निरीक्षण करेंगे।

जनपद एटा के विकास कार्यों एवं कानून–व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिस का दायित्व समाज की सुरक्षा के साथ–साथ अपराधों को नियंत्रित करना है, इसके लिए पुलिस अधिकारियों को प्रभावी ढंग से प्रयास करना चाहिए। तहसील समाधान दिवस और थाना समाधान दिवस के प्रभावी आयोजन के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता को अपनी समस्याएं दूर कराने के लिए भटकना न पड़े।

एटा की पहचान घुंघरू, घण्टी से है। शासन की 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' योजना के तहत जिले के घुंघरू, घण्टी उद्योग को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। सरकार द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों के फलस्वरूप एटा विकास की ओर तेजी से अग्रसर होगा।

सोलर फोटोवोल्टाइक इरीगेशन पम्पों का आवंटन हुआ आसान

उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर फोटोवोल्टाइक इरीगेशन पम्प योजना के अन्तर्गत लाभार्थी किसानों की चयन प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए चयन प्रक्रिया का नये सिरे से सरलीकरण किया है।

गत वर्ष के अवशेष 5853 सोलर फोटोवोल्टाइक इरीगेशन पम्पों की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति हेतु अब 'पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ–पहले सोलर पम्प पाओ' के आधार पर चयन किया जाएगा। इसके लिए आगामी 18 अगस्त तक ऐसे पंजीकृत किसान, जो बोरिंग एवं जल स्तर की उपयुक्तता के अनुसार बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध करायेंगें, उन्हें बैंक ड्राफ्ट जमा करने की तिथि व समय के आधार पर पहले आओ–पहले पाओ के सिद्धान्त पर उपलब्ध कराया जाएगा। लाभार्थी किसानों का चयन विकास खण्ड एवं जनपद हेतु आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक ही किया जाएगा।

यदि किसी विकास खण्ड में कम बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होते हैं, तो जनपद के दूसरे विकास खण्ड के कृषकों का चयन जनपद के लक्ष्यों की सीमा तक किया जाएगा। इच्छुक किसान सम्बन्धित उप कृषि निदेशक कार्यालय से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सभी राजस्व ग्रामों का होगा समुचित विकास : मुख्यमंत्री

प्रदेश में कुल लक्षित 1625 ग्रामों के सापेक्ष पूर्व में 914 राजस्व ग्रामों को तत्काल संतृप्त किया जायेगा। तत्पश्चात् अन्य राजस्व ग्रामों का चरणबद्ध ढंग से कार्य योजना के अनुसार संतृप्तीकरण कराया जाएगा। यह भी ध्यान रखा जाएगा कि इन गांवों के संतृप्तीकरण हेतु किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता में कोई कमी न हो।

'मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना' की प्रगति समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्यदायी विभागों और उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों को हर हाल में इन गांवों तक पहुंचाया जाएगा। कार्यदायी विभागों द्वारा राजस्व ग्रामों के संतृप्तीकरण के सम्बन्ध में निरन्तर समीक्षा करते हुए भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। इनमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सम्पर्क मार्ग से जुड़ेंगे सभी गांव

सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 250 या उससे अधिक आबादी के चयनित गांवों के लिए चरणबद्ध ढंग से निर्माण कार्य सुनिश्चित कराया जाएगा। चयनित 914 राजस्व ग्रामों में से 846 राजस्व ग्रामों को संतृप्त किया जा चुका है और 68 ग्राम शेष हैं। इनमें भी सम्पर्क मार्ग का निर्माण शीघ्रता से कराया जाएगा। राजस्व ग्रामों में आन्तरिक पक्की गलियों एवं नालियों के निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, स्वच्छ पेयजल, शहीद सैनिक के गांवों में तोरणद्वार एवं शहीद सैनिक की मूर्ति की स्थापना का कार्य किया जाएगा।

सुनिश्चित होगी सभी गांवों में बिजली की उपलब्धता

ऊर्जा विकास का प्रमुख आधार है। अतः चयनित राजस्व ग्रामों में विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है इसके लिए तीन चरणों में कार्य किया जाएगा। इस वर्ष के अन्त तक इन गांवों के विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। सभी ग्रामों में वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था सोलर स्ट्रीट लाइट के माध्यम से की जाएगी।

सभी राजस्व ग्रामों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय

राजस्व ग्रामों में आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने, मनरेगा, तालाबों का जीर्णोद्धार तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संतृप्त कराया जा रहा है।

सभी राजस्व ग्रामों में प्राथमिक–उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना व निर्माण किया जाएगा तथा इन विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों के लिए पेयजल व शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं हर हाल में उपलब्ध होंगी। राजस्व ग्रामों में चयनित युवाओं का पंजीकरण उनकी रुचि के अनुसार के व्यवसायों में कराया जाएगा। इन युवाओं को प्रशिक्षित करते हुए सेवायोजन के लिए जनपद स्तर पर रोजगार मेले आयोजन किये जायेंगे। ■

दूर होगी हाथरस में डार्क जोन और खारे पानी की समस्या

जनपद हाथरस की अपनी एक पहचान है। 'एक जनपद, एक उत्पाद' योजना के माध्यम से प्रत्येक जनपद के स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर मार्केटिंग तथा रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद हाथरस में 156 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण तथा शिलान्यास अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत है। सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगा है। आज उत्तर प्रदेश आज अग्रणी प्रदेश के रूप में जाना जाता है।

पाइप पेयजल योजना का वृहद स्तर पर होगा क्रियान्वयन

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद हाथरस में डार्कजोन तथा खारे पानी की समस्या का निदान किया जाएगा। इसके लिए पाइप पेयजल योजना का वृहद स्तर पर क्रियान्यवन किया जाएगा। जनता को स्वच्छ जल, जन सुविधा, स्वास्थ्य के साथ–साथ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।

वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पर्यटन, सडक, ओवरब्रिज, पॉलीटेक्निक, आई.टी.आई., कौशल विकास के लिये कार्य योजना तैयार की गई है, जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। नौजवानों को बिना भेदभाव के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। माटी कला बोर्ड से ग्राम स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगा। प्रदेश सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार विकसित कर रही है।

> **"एण्टी भू–माफिया के तहत वास्तविक भू–माफिया के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। चकबन्दी गरीबों के हित के लिए होती है, इसे शोषण का माध्यम नहीं बनाया जाएगा। आई.जी.आर.एस. प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण तथा फरियादी की सन्तुष्टि के आधार पर किया जाएगा।**
>
> **–योगी आदित्यनाथ** मुख्यमंत्री

कर चोरी के नाम पर नहीं होगा व्यापारियों का उत्पीड़न

जनपद हाथरस के विकास कार्यों एवं कानून–व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने पुलिस प्रशासन को बड़े स्तर पर निरोधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा कि अपराध पर काबू पाने के लिए प्रत्येक दिन फुट पेट्रोलिंग की जाए, जिससे अपराधियों के बीच भय व्याप्त हो। पुलिस अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशील रहने तथा बेहतर संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी थानों को साप्ताहिक टास्क दिये जाएंगे, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक से उद्यमी तथा व्यापरियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए।

प्रदेश में व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुआ है, जो आम जनमानस को दिख रहा है। कर चोरी के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। फसल ऋण मोचन योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जाएगा तथा जिन किसानों के प्रकरण लम्बित हैं, उन्हें तत्काल निस्तारित किया जाएगा। पात्र लघु एवं सीमान्त किसानों का परीक्षण कर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा।

नगरीय क्षेत्रों में हो चुके अवैध निर्माणों के लिए शमन योजना

नगरीय क्षेत्रों में हो चुके अवैध निर्माणों में बड़े पैमाने पर निजी पूंजी निवेश किया गया है, जिसके चलते विकास प्राधिकरणों तथा अवैध निर्माणकर्ताओं के बीच निरन्तर विवाद की स्थिति बनी रहती है। इस स्थिति का कोई न कोई समाधान निकालना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा दिए गए शमन योजना 2018 के प्रस्तुतिकरण देखने के उपरान्त इसमें आवश्यक फेरबदल करते हुए इसे शीघ्र और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये।

इस योजना के लागू होने के उपरान्त प्राप्त होने वाले शमन शुल्क से सम्बन्धित कॉलोनियों में अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। विकास प्राधिकरणों तथा अवैध निर्माणकर्ताओं के बीच शमन की प्रक्रिया को तेज गति प्रदान करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

ऐसे अवैध निर्माण नहीं होंगे शमनीय

इस योजना के तहत केन्द्र, राज्य सरकार, विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, स्थानीय निकाय तथा अन्य शासकीय एवं शासन के अधीन उपक्रमों की भूमि पर किये अवैध निर्माण शमनीय नहीं होंगे। सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं, सेवाओं एवं उपयोगिताओं जैसे–सड़कें, रेलवे लाइन, पार्क एवं खुले स्थल, हरित पट्टी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट (एस.टी.पी.), इलेक्ट्रिक सब–स्टेशन, वाटर वर्क्स, बस टर्मिनल तथा समरूप अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित भूमि अथवा महायोजना/ज़ोनल प्लान में इन सुविधाओं हेतु प्रस्तावित भूमि पर किया गया निर्माण भी शमन हेतु पात्रता में नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, विवादित भूमि पर किया गया अवैध निर्माण भी पात्रता क्षेत्र में नहीं शामिल किया जाएगा। अन्य प्रतिबन्धित श्रेणी की जमीनों पर किये गये निर्माण भी पात्रता क्षेत्र में नहीं आएंगे।

किसी भूमि का सब–डिवीजन, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से कम हो अथवा भवन (ग्रुप हाउसिंग भवनों को छोड़कर), जिसमें निर्मित अपार्टमेंट्स की संख्या 8 या उससे कम हो, इस योजना के जारी होने की तिथि तक शमन के लिए पात्र होंगे।

डी.बी.टी. के तहत किसानों को मिलेंगे माइक्रो न्यूट्रियन्ट

उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र पोषित योजनाओं में फास्फो जिप्सम तथा माइक्रो न्यूट्रियन्ट के वितरण सुनिश्चित कराने हेतु इफ्को के किसान केन्द्रों, कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही एग्री जंक्शन, कृभको के विक्रय केन्द्रों, यूपी एग्रो, उ.प्र. बीज विकास निगम, सहकारी समितियों, गन्ना समितियों तथा कृषि विभाग के स्वयं के विक्रय केन्द्रों से इन उर्वरकों के वितरण की अनुमति डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) व्यवस्था के अनुसार प्रदान कर दी है।

शिक्षामित्रों के हित में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम

मूल तैनाती के स्थल पर काम कर सकेंगे शिक्षामित्र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षा मित्रों की जिले के अन्दर दूर–दराज के क्षेत्रों में हुई तैनाती के मद्देनजर उन्हें उनके मूल स्थान पर तैनात करने का विकल्प दिए जाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार शिक्षा मित्रों के पास अब यह विकल्प होगा कि वे या तो अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर रहें अथवा यदि वे अपने घर के पास की मूल तैनाती पर जाना चाहते हों, तो उनको उनकी मूल तैनाती के स्थान पर तैनात कर दिया जाए।

मुख्यमंत्री जी के निर्णय के अनुसार विवाहित महिलाओं के सम्बन्ध में उनके पास इसके अतिरिक्त यह विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वे जिले में उस स्थान का भी चयन कर सकती हैं, जहां उनकी ससुराल का घर हो अथवा उनके पति की तैनाती हो। इससे एक ओर तो शिक्षा मित्रों को उनके घर के नजदीक रहकर विद्यालय में कार्य करने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उन्हें दूर के विद्यालय में आने–जाने में होने वाले व्यय, मानसिक तनाव व परेशानी से मुक्ति मिलेगी तथा समय की बचत भी होगी। सरकार के इस निर्णय से शिक्षा मित्रों को कार्य करने के बेहतर अवसर मिलेंगे। ■

24 जुलाई 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

बुन्देलखण्ड और विंध्य के गांवों को सर्वप्रथम मिलेगा पाइप पेयजल योजनाओं का लाभ

वर्ष 2022 तक लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइप पेयजल योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रथम चरण में बुन्देलखण्ड, विंध्य क्षेत्र तथा आर्सेनिक और फ्लोराइड बहुल 8240 गांवों में पाइप पेयजल योजना के कंसल्टेन्ट चयन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस परियोजना पर लगभग 86000 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है। प्रथम चरण में कराए जाने वाले कार्यों से लगभग 1.55 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। पाइप के माध्यम से प्रति परिवार 70 लीटर पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रथम चरण में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 2660, विंध्य क्षेत्र के 1880 तथा आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा जेई–एईएस प्रभावित क्षेत्रों के 3700 गांवों को योजनान्तर्गत आच्छादित किया जायेगा।

- **पीजीआई में लिवर ट्रान्सप्लान्ट यूनिट की बढ़ी लागत को स्वीकृति**
- **मिर्जापुर मेडिकल कालेज को मिलेगी कृषि विभाग की 10 एकड़ भूमि**
- **उच्चतर न्यायिक सेवा के पाठ्यक्रम में होगा बदलाव**

कुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए 5.19 करोड़ की स्वीकृति

संगम तट पर प्रत्येक 12 वर्षों पर महाकुंभ, 6 वर्ष पर कुंभ तथा प्रत्येक वर्ष माघ मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश–विदेश से करोड़ों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। अत: सरकार ने प्रयाग कुंभ में विभिन्न अखाड़ों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के दृष्टिगत चार अखाड़ों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 5.19 करोड़ रूपये के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

इन अखाडों में विकसित होंगी सुविधाएं

सरकार ने पंचदस नाम आह्वान अखाड़ा परिषद, अग्निपंच अखाड़ा परिषद, पंच निर्मोही अखाड़ा तथा बाघंबरी मठ अखाड़ा हेतु यह धनराशि स्वीकृत की है। अन्य अखाड़ों से प्रस्ताव आने पर भी सरकार विचार हेतु तत्पर है।

खास खबर

सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापना हेतु उपभोक्ता घर बैठकर ही कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

सरकार की पूर्ण पारदर्शिता की नीति के तहत सोलर रूफ टॉप के उपभोक्ताओं द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए पंजीकरण हेतु 'यूनीफाइड सोलर रूफटॉप ट्रांजेक्शन पोर्टल' की स्थापना की गई है।

केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रु. 15000 प्रति किलोवाट अधिकतम रु. 30000 का अनुदान दिया जाएगा।

इस वेब–पोर्टल से उपभोक्ता घर बैठे–बैठे ही संयंत्र की स्थापना एवं अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और बिना किसी भाग दौड़ के एवं कार्यालयों का चक्कर लगाये, प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर अनुदान प्राप्त कर सकेगा। यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी होगी। पंजीकरण के उपरान्त संयंत्र की स्थापना की कार्यवाही 210 दिनों में पूर्ण की जाएगी, तथा पंजीकरण तिथि से 224 दिनों के अन्दर वेब–पोर्टल पर सभी वांछित प्रपत्र अपलोड कराना अनिवार्य होगा, ऐसा ना करने पर लाभार्थी का आवेदन स्वत: ही निरस्त हो जाएगा और उसे पुन: आवेदन करना होगा। सरकार ने 10700 मेगावाट का न्यूनतम लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 4300 मेगावाट का लक्ष्य सोलर रूफ टॉप के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक डॉ. उज्ज्वल कुमार द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी